राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर

Telephone 0771-244505 Email: mis.head@gmail.com

पत्र क. 406/SS/Padngogy/EE-SE/चर्चा पत्र/2021–22 रायपुर, दिनांक 07/07/2021

प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी,	जिला मिशन समन्वयक	शाला संकुल प्रभारी
स्कूल शिक्षा विभाग,	समग्र शिक्षा	संकुल स्त्रोत केंद्र
समस्त जिले, छत्तीसगढ़	समस्त जिले, छत्तीसगढ़	समस्त संकुल, छत्तीसगढ़

विषय: अपने संकुल में मोहल्ला कक्षाओं को प्रारंभ करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (standard operating procedure-SOP)का पालन सुनिश्चित करना।।

सन्दर्भ: स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मोहल्ला कक्षाओं के आयोजन के संबंध में जारी दिशानिर्देश पत्र क्रमांक/एफ 6-20/2020/20-तीन नव रायपुर अटल नगर दिनांक 18/06/2021।

---०००---

राज्य में बच्चों का सीखना जारी रखने एवं उनके सीखने में हुए नुकसान (Learning loss)को कम करने के उद्देश्य से इस सत्र में प्रारंभ से ही सभी कक्षाओं में नियमित मोहल्ला कक्षाओं के संचालन कर सभी विषयों के अध्यापन का सुझाव दिया गया है। मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों का सीखना सुनिश्चित करने विभिन्न नवाचारी तरीकों को अपनाए जाने हेतु राज्य स्तर से एक वेबीनार का आयोजन भी किया गया है। यह अभी भी यू-ट्यूब पर उपलब्ध है।

मोहल्ला कक्षाओं के संचालन हेतु एक सुझावात्मक मानक संचालन प्रक्रिया (standard operating procedures-SOP) तैयार कर आपकी ओर भेजी जा रही है। इसे जिले के सभी शाला संकुलों के माध्यम से तत्काल सभी संकुल समन्वयकों एवं शिक्षकों तक भेजते हुए पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न: मोहल्ला कक्षाओं को प्रारंभ करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया।

प्रबंध संचालक
समग्र शिक्षा
छत्तीसगढ़, रायपुर

।।जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा दुर्ग।।

पृ.क./1769/चर्चा पत्र/2021 दुर्ग दिनांक 07/07/2021

प्रतिलिपिः–

01. सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ।
02. प्राचार्य/संकुल प्रभारी, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
03. विकासखण्ड स्त्रोत व्यक्ति जिला दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा दुर्ग

Scanned with CamScanner

बच्चों की पढाई जारी रखने हेतु मोहल्ला कक्षाओं के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (standard operating procedure-SOP)

1. स्थानीय स्तर पर मोहल्ला कक्षाओं के संचालन हेतु शाला प्रबन्धन समिति के सदस्यों एवं पालकों की एक बैठक लेकर बच्चों का सीखना जारी रखने मोहल्ला कक्षाओं के संचालन हेतु लिखित में अनुमति ले लेवें |
2. समुदाय के साथ मिलकर बच्चों की संख्या, कक्षा एवं समुदाय से शिक्षा सारथी की उपलब्धता के आधार पर सीखने हेतु उपयुक्त केंद्रों का चयन कर उसे सीखने-सिखाने हेतु व्यवस्थित कर लेवें |
3. बच्चों को सीखने में सहयोग देने प्राथमिकता संबंधित शाला के नियमित शिक्षकों को देवें | शिक्षकों को आवश्यक सहयोग देने हेतु शिक्षा सारथियों से विद्यादान की व्यवस्था की जाए |
4. शिक्षा सारथियों का चयन करते समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, बच्चों को सिखाने में रूचि एवं बच्चों की सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं की जाँच परख कर लेवें | उन्हें समुदाय की सहमति से ही निःशुल्क सेवा देने हेतु रखा जाए |
5. शाला के नियमित शिक्षक, स्थानीय स्तर पर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी अपने अपन क्षेत्र में शिक्षा सारथियों के लिए मेंटर के रूप में सहयोग एवं सतत क्षमता विकास करेंगे |
6. शाला के नियमित शिक्षक शिक्षा सारथी द्वारा कक्षा अध्यापन का अवलोकन कर उनमें सुधार हेतु भी सतत प्रयत्नशील रहेंगे
7. सीखने के केंद्र को सेनिटाइज करने के साथ ही बच्चों के बीच बैठते समय दूरी का पालन एवं पूरे समय मास्क को सही ढंग से पहना जाना सुनिश्चित करें | कोरोना एवं अन्य संक्रमण से बचाव हेतु समय समय पर जारी दिशानिर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए |
8. सीखने-सिखाने के दौरान शिक्षक भी पूरे समय मास्क को सही तरीके से लगाकर रखेंगे | सभी शिक्षक कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण भी कर लेंगे |
9. यथासंभव गतिविधि आधारित शिक्षण एवं बच्चों को एक दूसरे से सीखने में सहयोग हेतु उन्हें छोटे छोटे गोले में बिठाया जाए एवं दूरी बनाकर आपस में सहयोग से सीखने के अवसर प्रदान किया जाए |
10. सभी बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं देते हुए उन्हें घर पर रहते हुए अभ्यास पुस्तकाओं पर कार्य करवाते हुए बच्चों के कार्यों का आकलन कर उसके आधार पर नियमित फीडबैक देकर सुधार लाया जाए |
11. आंगनबाडी एवं कक्षा पहली दूसरी के बच्चों को सीखने में घर पर रहकर सहयोग देने "अंगना मा शिक्षा" कार्यक्रम के अंतर्गत माताओं को प्रशिक्षित किया जाए | इस हेतु पालकों के लिए तैयार संदर्शिका का वितरण कर उपयोग किया जाए |
12. कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार के सूचना एवं संक्रमण के खतरे की स्थिति में केंद्र तत्काल बंद रखा जाए | बच्चों की नियमित जांच के साथ-साथ उन्हें कोरोना के लक्षण एवं सावधानियों से समय समय पर अवगत करवाएं |
13. बच्चों को नियमित रूप से कक्षा अध्यापन करने के दौरान रचनात्मक आकलन करने के साथ-साथ प्रति माह आकलन कर प्रत्येक बच्चे के आकलन का लिखित रिकार्ड बच्चों के पोर्टफोलियो के रूप में शाला में संधारित रखा जाए |

Scanned with CamScanner

14. सीखने के केंद्र में सीखने-सिखाने हेतु श्यामपट, चाक-डस्टर, चार्ट एवं पोस्टर के साथ-साथ बच्चों के लिखित कार्यों हेतु पर्याप्त स्टेशनरी भी सुलभ की जाए। इस हेतु शाला अनुदान का उपयोग किया जाए।

15. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी बच्चों को मूलभूत भाषाई एवं गणितीय कौशल हासिल हो जाने चाहिए। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही तय करते हुए कार्य सुनिश्चित किया जाए।

16. मुस्कान पुस्तकालय का नियमित उपयोग, सीखने हेतु अलग से कालखंड, पुस्तकों को बच्चों के आसन पहुंच में सुलभ करवाना एवं पढी जा रही पुस्तकों पर नियमित चर्चाओं का आयोजन करवाएं। रूम टू रीड एवं लेंगुएज लर्निंग फाउंडेशन द्वारा तैयार सामग्री का भी बच्चों द्वारा नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

17. स्थानीय संसाधनों से गणित के लिए सहायक सामग्री एवं संपर्क गणित किट का भी इन केन्द्रों में सीखने-सिखाने में नियमित उपयोग किया जाए। संपर्क बैठक एप्प का भी उपयोग कर सीखने में सहयोग लिया जाए।

18. बच्चों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से सीखने में प्रगति के आकलन के लिए समय समय पर समुदाय के समक्ष उनके द्वारा पठन/ गणितीय कौशलों का प्रस्तुतीकरण करवाते हुए गुणवत्ता के लिए सामजिक अंकेक्षण करवाया जाए।

19. सभी वर्गों एवं समूहों के मध्य सीखने में समानता बनाए रखने बालिकाओं, एस.सी. एस.टी. बच्चों एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सीखने में सहयोग के क्षेत्र जैसे स्थानीय भाषा में शिक्षण, बिना किसी भेदभाव के कक्षाओं का संचालन एवं विभिन्न स्रोतों से आवश्यक उपकरण/ थेरेपी देने की व्यवस्था की जाए।

20. मोहल्ला कक्षाओं में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में साक्षरता के नव-साक्षरों को भी शामिल करें। स्थानीय स्तर पर बच्चों एवं बड़ों को आसपास से सीखने हेतु गाँव/ वार्ड की दीवारों में सीखने के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रिंट-रिच वातावरण के रूप में तैयार कर उपलब्ध करवाएं।

प्रबंध संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय,
समग्र शिक्षा
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned with CamScanner